THE STANFORD JOURNAL
AN INTERNATIONAL JOURNAL
THE STANFORD JOURNAL ISSN: 3048-8923
(AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH) IJIN VALUE/
IMPACT FACTOR : 8.3
Volume–2, Issues– 4 October- December: 2025

कोविड समय में स्कूल स्तर पर शैक्षिक व्यवस्था

गायत्री चौधरी
एम.एड.छात्रा शिक्षाशास्त्र विभाग
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय,
वाराणसी, उत्तर प्रदेश
M. 8191862119
E.Mail- gchaudhary2019@gmail.com

सारांश

उत्तराखण्ड शासन की ओर से जारी मानक प्रचलन प्रक्रिया (एसओपी) में स्पष्ट कहा गया था कि यदि कोई छात्र बिना मास्क के स्कूल आता है तो ऐसे छात्र-छात्राओं के लिए स्कूल में मास्क की व्यवस्था करनी थी। स्कूल खुलने के दौरान सभी शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्रों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य था। इसके अलावा शारीरिक दूरी का पालन, सैनिटाइजेशन और अन्य सभी नियमों का अनिवार्य रूप से पालन कराया गया। प्रदेश में नौवीं और 12 वीं तक के छात्र-छात्राओं के लिए स्कूल खुल रहे थे। इसमें सरकारी और निजी हाईस्कूलों की कुल संख्या 1354 है। जबकि 2479 इंटरमीडिएट कॉलेज हैं इन सभी में तीन लाख से अधिक छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। शिक्षा विभाग में योजनाएं तो बहुत बनती हैं लेकिन उनका सही से क्रियान्वयन न होने के कारण सरकारी स्कूलों की बदहाल दशा नहीं सुधर पा रहीं है। कुछ वर्ष पहले विभाग ने कक्षा 6 से विज्ञान विषय को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने का फैसला किया था। अब वह बच्चे जिन्होंने विज्ञान को कक्षा 6, 7 व 8 में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा है, वे बच्चे कक्षा 9 में आ गए हैं लेकिन विभागीय स्तर से अभी यह निर्णय नहीं लिया गया है कि विज्ञान कक्षा 9 में हिंदी माध्यम में पढ़ाया जाएगा या अंग्रेजी में। सरकारी माध्यमिक, विद्यालयों में पड़ताल की तो आजीबोगरीब स्थिति सामने आई, जो बच्चे कक्षा आठ तक विज्ञानअंग्रेजी माध्यम से पढ़कर आएउन्हें अब कक्षा नौ में हिंदी माध्यम की किताब से पढ़ाई करनी पड़ रही है। जिले में शिक्षा विभाग के 189 सरकारी माध्यमिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं मगर अधिकतर में कक्षा नौ में विज्ञान अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने के लिए शिक्षक

THE STANFORD JOURNAL
AN INTERNATIONAL JOURNAL
THE STANFORD JOURNAL ISSN: 3048-8923
(AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH) IJIN VALUE/
IMPACT FACTOR : 8.3
Volume–2, Issues– 4 October- December: 2025

ही नहीं हैं इस वजह से अधिकतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा नौ में विज्ञान विषय हिंदी माध्यम से ही पढ़ाया जा रहा है। इससे अधिक दिक्कत प्रत्येक ब्लाक में चयनित दो-दो अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेजों में हो रही है। इन विद्यालयों को भले ही सीबीएसई की मान्यता मिल गई मगर विभाग से अभी तक अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने के लिए शिक्षकों की तैनाती नहीं हो सकी है। इसलिए इन विद्यालयों में इंगलिश मीडियम और पढ़ाई हिंदी मीडियम से ही चल रही है। इससे बच्चों को काफी परेशानी हो रही है।

मुख्य शब्द: *स्कूल, विद्यालय, राजकीय इंटर कॉलेज, कोविड, शैक्षिक व्यवस्था*

प्रस्तावना

सरकारी प्राथमिक विद्यालय-उत्तराखण्ड प्रदेश के अटल उत्कृष्ट स्कूलों से उनके नजदीक के प्राथमिक विद्यालय जोड़े गए । मानकों को पूरा करने वाले अन्य स्कूलों को भी अटल उत्कृष्ट स्कूलों के रूप में चयनित किया गया। प्रदेश में अब तक 190 स्कूलों को अटल उत्कृष्ट स्कूलों के रूप में चयनित किया गया। जिनमें इन दिनों शिक्षकों एवं प्रिंसिपलों की तैनाती की प्रक्रिया चलने के साथ ही इन स्कूलों में सीबीएसई पाठयक्रम लागू किया गया । जबकि अब अन्य ऐसे स्कूलों को भी अब जो सीबीएसई के मानक पूरा करते हैं उन्हें अटल उत्कृष्ट स्कूलों के रूप में चयनित किया गया ।

उत्तराखण्ड प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में तीन लाख 63 हजार और निजी स्कूलों में चार लाख से अधिक छात्र हैं। वहीं, प्रदेश में कक्षा एक से पांचवी तक के 14007 स्कूल हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय 11653, राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालय 11, अन्य सरकारी विद्यालय 53 और निजी प्राथमिक विद्यालय 2290 हैं। उत्तराखण्ड प्रदेश में कोविड की वजह से पिछले डेढ़ साल से अधिक समय से बंद रहे, कक्षा एक से पांचवीं तक के 14007 सरकारी और निजी स्कूल 21 सितम्बर 2021 से खुल गये थे। कोरोना महामारी के चलते उत्तराखण्ड बोर्ड के पाठ्यक्रम में 30 प्रतिशत की कटौती की गई। उत्तराखण्ड बोर्ड के अधीन चल रहे सरकारी अशासकीय सहायता प्राप्त, मान्यताप्राप्तअशासकीय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र

THE STANFORD JOURNAL
AN INTERNATIONAL JOURNAL
THE STANFORD JOURNAL ISSN: 3048-8923
(AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH) IJIN VALUE/
IMPACT FACTOR : 8.3
Volume–2, Issues– 4 October- December: 2025

2021-22 के लिए पुनर्गठित पाठ्यक्रम लागू किया गया। कक्षा 1 से आठवीं तक एनसीईआरटी की ओर से तैयार सीखने के परिणाम व वैकल्पिक अकादमिक कलेंडर को ही लागू किया गया । कक्षा 9 से 12वीं तक उत्तराखण्ड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर की ओर से तैयार पुनर्गठित पाठ्यक्रम को लागू किया गया।

टयूशन फीस- स्कूल बच्चों से टयूशन फीस के अलावा स्कूल कोई शुल्क नहीं लिया गया। आदेश में कहा गया था कि स्कूलों को भौतिक रूप से खोले जाने का निर्णय बच्चों के पढ़ाई के नुकसान को ध्यान में रखते हुए लिया गया था । समस्त स्कूल प्रबंधक की ओर से यह तय किया गया था कि बच्चों से शिक्षण शुल्क के अलावा अन्य गतिविधियों से संबंधित शुल्क किसी भी दशा में न लिया जाए और न ही प्रथम चरण में पाठ्यत्तेर गतिविधियों का आयोजन किया जाए। वहीं मध्याह्न भोजन योजना की वर्तमान व्यवस्था जिसके तहत बच्चों को खाद्यान एवं मध्याह्न भोजन सामग्री दी गई, उसको यथावत रखते हुए स्कूलों में अगले आदेश तक पका पकाया भोजन नहीं दिया गया । भोजन माता नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित रही जो छात्र छात्राओं के सैनिटाइजेशन व अन्य कोविड प्रोटोकाल के पालन में संस्था का सहयोग किया । इसके अलावा स्कूल परिसर में छात्र-छात्राओं को लंच बाक्स या अन्य भोज्य पदार्थ लाने की अनुमति नहीं दी गई । इसके इसके लिए विद्यालय प्रबंधन की ओर से नियमित रूप से निगरानी की गयी ।

कोविड प्रोटोकाल संबंधी दिशा निर्देश-

- **हर स्कूल में नामित एक नोडल अधिकारी:** हर स्कूल में एक नोडल अधिकारी नामित किया गया। जो सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड प्रोटोकाल संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन कराने के लिए उत्तरदायी थे ।
- **बुखार, खांसी जुकाम हुआ तो घर भेज दिया गया :** यदि किसी छात्र, शिक्षक या कर्मचारी में खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण होते थे तो प्राथमिक देते हुए उन्हें घर वापस भेज दिया जाता था।
- **स्कूलों ने की छात्र-छात्राओं के लिए मास्क की व्यवस्था:** यदि कोई छात्र-छात्रा बिना मास्क के स्कूल आते हैं तो ऐसे छात्र-छात्राओं के लिए स्कूल को मास्क की व्यवस्था करनी पड़ी|

THE STANFORD JOURNAL
AN INTERNATIONAL JOURNAL
THE STANFORD JOURNAL ISSN: 3048-8923
(AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH) IJIN VALUE/
IMPACT FACTOR : 8.3
Volume–2, Issues– 4 October- December: 2025

- **एक साथ नहीं हुई सभी छात्र-छात्राओं की छुट्टी:** स्कूल में प्रवेश एवं छुट्टी के समय मुख्य द्वारा पर सोशल डिस्टेसिंग का पालन हो सके इसके लिए अलग-अलग कक्षाओं के लिए समय अंतराल तय किया गया, एक साथ सभी कक्षाओं को न छोड़ा गया था ।
- **सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वैक्सीनेशन को प्राथमिकता:** स्कूल के सभी शिक्षकों, कर्मचारियों एवं भोजन माताओं के वैक्सीनेशन की व्यवस्था कर ली गयी थी ।
- **शिक्षकों को बनाया उत्तरदायी:** स्कूलों में छात्र-छात्राओं ने तय मानक के अनुरूप कितना सीखा इसके लिए शिक्षक उत्तरदायी बनाया गया था ।
- **बच्चों के पढ़ाई के नुकसान की बिज कोर्स से भरपाई की तैयारी:** हर स्कूल में यह तय किया गया कि शुरूआत में प्रत्येक कक्षा के हर विषय से सम्बन्धित पिछले वर्ष के सीखने के अन्तर को दूर करने के लिए एससीईआरटी द्वारा विकसित ब्रिजकोर्स के आधार पर बच्चों को पढ़ाया गया ।
- **छात्र-छात्राओं को फुल बाजू की पैंट, शर्ट में आना होगा स्कूल:** छात्र-छात्राओं को स्कूल अवधि में फुल बाजू के पैंट शर्ट, सलवार कमीज पहनकर स्कूल आने के दिए गए थे ।
- **स्कूलों में नहीं होगी प्रार्थना सभा एवं खेल गतिविधयां:** स्कूलों में प्रार्थना सभा, बाल सभा, खेल, संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अन्य सामूहिक गतिविधियां आयोजित नहीं की गयी|

परीक्षा परिणाम

हाईस्कूल में जिलों की स्थिति 2021-

जिला	पंजीकृत	उत्तीर्ण छात्र	प्रतिशत
हरिद्वार	24517	24344	99.29
देहरादून	16137	16021	99.28
उत्तरकाशी	5967	5929	99.36
टिहरी	12425	12368	99.54

THE STANFORD JOURNAL
AN INTERNATIONAL JOURNAL
THE STANFORD JOURNAL ISSN: 3048-8923
(AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH) IJIN VALUE/
IMPACT FACTOR : 8.3
Volume–2, Issues– 4 October- December: 2025

पौड़ी	10338	10216	99.25
चमोली	7665	7615	99.34
रूद्रप्रयाग	5080	5067	99.74
पिथौरागढ़	7531	7430	98.65
चम्पावत	4378	4339	99.10
अल्मोड़ा	10838	10700	98.72
बागेश्वर	4801	4784	99.64
नैनीताल	13239	13000	99.19
यू.एस. नगर	24809	24528	98.86

उत्तराखण्ड के 13 जिलों में हाईस्कूल में पंजीकृत विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम देखने से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2021 में हाईस्कूल का परीक्षा परिणाम जिला-पिथौरागढ़ का न्यूनतम 98.65 प्रतिशत एवं रूद्रप्रयाग जिले का 99.74 प्रतिशत सर्वाधिक उत्तीर्ण प्रतिशत रहा था । इस प्रकार वर्ष 2021 में हाईस्कूल उत्तीर्ण प्रतिशत बहुत अच्छा रहा।

इन्टरमीडिएट में जिलों की स्थिति 2021-

जिला	**पंजीकृत**	**उत्तीर्ण छात्र**	**प्रतिशत**
हरिद्वार	20479	20243	98.85
देहरादून	12560	12499	99.51
उत्तरकाशी	5299	5292	99.87
टिहरी	10107	10087	99.80
पौड़ी	9684	9675	99.91
चमोली	6015	6012	99.95
रूद्रप्रयाग	4314	4305	99.79
पिथौरागढ़	6842	6837	99.93
चम्पावत	3845	3842	99.92
अल्मोड़ा	9807	9789	99.82
बागेश्वर	4148	4143	99.88
नैनीताल	10677	10635	99.61

THE STANFORD JOURNAL
AN INTERNATIONAL JOURNAL
THE STANFORD JOURNAL ISSN: 3048-8923
(AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH) IJIN VALUE/
IMPACT FACTOR : 8.3
Volume–2, Issues– 4 October- December: 2025

यू.एस. नगर	17928	17813	99.36

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर 13 जिलों में इन्टरमीडिएट में पंजीकृत विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम देखने से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2021 में इन्टरमीडिएट में हरिद्वार जिलें में पंजीकृत विद्यार्थियों का उत्तीर्ण 98.85 प्रतिशत न्यूनतम व चमोली जिलें में पंजीकृत विद्यार्थियों का उत्तीर्ण 99.95 प्रतिशत सर्वाधिक रहा था । तालिका में अन्य जिलों के परीक्षा परिणाम उपरोक्त परीक्षा परिणाम के मध्य में है।

पीएम पोषण योजना (प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण)- केन्द्र सरकार ने दशकों पुरानी मध्याह्न भोजन (मिडडे मील) योजना का नाम बदल कर पीएम पोषण (प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण) करने और इसके दायरे में आंगनवाड़ियों से जुड़ी बाल बाटिकाओं को शामिल करने का फैसला किया था, जिसे स्कूली शिक्षा और पोषण के लिहाज से एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव कहा जा सकता है। मौजूदा समय में पूरे देश में 11.20 लाख स्कूलों के पहली कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक के 11.80 करोड़ बच्चों के लिए मिडडे मील योजना चल रही है, जिसकी शुरूआत औपचारिक रूप से 1995 में हुई थी। इसके पीछे सोच यही रही है कि बच्चों को साल के दो सौ दिनों तक कम से कम एक बार पौष्टिक भोजन मिल सके। मोदी सरकार के इस कदम से अब सरकारी तथा सरकार की मदद से चलने वाली बाल वाटिकाओं के पच्चीस लाख बच्चे भी इसके दायरे में आ जाएंगे। जैसा कि इस योजना के नाम में किए गए बदलाव से साफ है कि जोर इस बात पर है कि बच्चों को पर्याप्त पोषण मिल सके। वास्तव में नई शिक्षा नीति में तीन से छह वर्ष तक के बच्चों को प्री-प्राइमरी स्कूलों या बाल वाटिकाओं से जोड़ने का प्रावधान है। पांच वर्ष तक की उम्र को पोषण के लिए अहम माना जाता है और आज भी देश में इस उम्र के बच्चों के पोषण की स्थिति को अच्छा नहीं कहा जा सकता। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-चार के मुताबिक, देश में पांच वर्ष तक के एक तिहाई बच्चे नाटे कद के और कम वजन के हैं, जबकि हर दस में से दो बच्चे क्षीण है। दरअसल मिडडे मील योजना की शुरूआत भी पोषण को ही आधार मानकर की गयी थी और जब इसमें खामियां सामने आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में निर्देश दिया कि इसके तहत बच्चों को पका

THE STANFORD JOURNAL
AN INTERNATIONAL JOURNAL
THE STANFORD JOURNAL ISSN: 3048-8923
(AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH) IJIN VALUE/
IMPACT FACTOR : 8.3
Volume–2, Issues– 4 October- December: 2025

हुआ गरम भोजन दिया जाए। संभव है कि इस योजना में अब भी कुछ खामियां हों जैसे कि बच्चों को वितरित किए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता को लेकर कुछ जगहों से आने वाली शिकायतों से पता चलता है। लेकिन यह सच है कि पोषण से जुड़ी दुनिया की अपने तरह की इस सबसे बड़ी योजना के कारण बच्चों के स्कूल बीच में छोड़ने की दर में भी कमी आई है। इस योजना में 54,061 करोड़ रूपये केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया और 31,733 करोड़ रूपये का खर्च राज्य सरकार वहन किया गया। इसके अलावा केन्द्र सरकार खाद्यान्न की गरीब 45,000 करोड़ रूपये की लागत भी वहन की । इस तरह यह योजना कुल 1.31 लाख करोड़ रूपये की है। इस योजना पर होने वाले भारी-भरकम खर्च को लेकर भी एतराज किया जाता रहा है, मगर एक कल्याणकारी राज्य में इसे दान के बजाय एक संविधानिक जिम्मेदारी की तरह देखा जाना चाहिए।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (अल्पसंख्यक स्कूलों)- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिश, कि सभी अल्पसंख्यक स्कूलों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई अधिनियम) और सर्व शिक्षा अभियान के दायरे में लाया जाए, ने एक नई बहस छेड़ दी थी । आयोग ने ऐसे स्कूलों में अल्पसंख्यक समुदायों, के आयोग की अद्यतन रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2005-2009 के बीच अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा संचालित 85 फीसदी से अधिक स्कूलों में 93वें संविधान संशोधन के बाद अल्पसंख्यक का दर्जा पाने वाले स्कूलों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'प्रमति एजुकेशनल ऐंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया' मामले में आरटीई अधिनियम को अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू न किए जाने के निर्णय के बाद ऐसे स्कूलों की संख्या में दूसरा उछाल देखा गया। सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है और यह प्रावधान करता है कि भारत में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को, जिसकी एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे संरक्षित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार की गारंटी देता है। लेकिन 86वें संविधान सेशोधन के तहत शामिल अनुच्छेद 21व यह अनिवार्य

THE STANFORD JOURNAL
AN INTERNATIONAL JOURNAL
THE STANFORD JOURNAL ISSN: 3048-8923
(AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH) IJIN VALUE/
IMPACT FACTOR : 8.3
Volume–2, Issues– 4 October- December: 2025

बनाता है कि राज्य छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। संशोधन ने अनुच्छेद 45 को भी प्रतिस्थापित किया, जिसके अनुसार 'राज्य सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा, जब तक कि वे छह वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते'। 93वें संशोधन ने अनुच्छेद 15 में खंड (5) जोड़ा, जो राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों के किसी भी वर्ग या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए कानून द्वारा कोई विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है।

अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक परिभाषित या चिह्नित नहीं है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ग) मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध जैन और पारसी समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय परिभाषित करती है। सवाल यह है कि अगर इन स्कूलों को आरटीई एक्ट और सर्व शिक्षा के दायरे में लाया गया, तो क्या इससे अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार खत्म हो जायेगी। शिक्षा, संविधान का एक समवर्ती विषय होने के नाते अधिनियम 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों द्वारा प्रवेश, उपस्थिति और प्रारम्भिक शिक्षा को पूरा करने के लिए उचित सरकारों और और स्थानीय प्राधिकारियों पर एक दायित्व डालता है। अधिनियम में सभी निजी स्कूलों में कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का भी प्रावधान है, जिनकी निर्धारित शुल्क की प्रतिमूर्ति राज्य द्वारा की जाएगी।

सर्व शिक्षा अभियान-2002-2003 में शुरू किए गए सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करना था। समयबद्ध तरीके से प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की उपलब्धि तरीके से प्रारभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की उपलब्धि के लिए यह सभी सरकारों का एक प्रमुख कार्यक्रम था ।

'प्रमति निर्णय'यह विचार करने में विफल रहा कि कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत प्रवेश कोटा के अलावा, आरटीई अधिनियम में बुनियादी शिक्षा ढांचे के मानदंड, छात्र-शिक्षक अनुपात, स्क्रीनिंग टेस्ट पर प्रतिबंध और कैपिटेशन शुल्क और शारीरिक दंड पर प्रतिबंध आदि के प्रावधान भी थे । इन प्रावधानों से छात्रों और अल्पसंख्यक समुदाय, दोनों को लाभ हुआ। संविधान के प्रावधानों की विवेचना

THE STANFORD JOURNAL
AN INTERNATIONAL JOURNAL
THE STANFORD JOURNAL ISSN: 3048-8923
(AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH) IJIN VALUE/
IMPACT FACTOR : 8.3
Volume–2, Issues– 4 October- December: 2025

सामंजस्यपूर्ण ढंग से होनी चाहिए, ताकि समुदाय या लिंग की बाधाएं विधायिका की मनसा और उद्देश्यों को विफल नहीं कर सकें।

शिक्षा के क्षेत्र में आईटी का प्रयोग- शिक्षा के क्षेत्र में आईटी का प्रयोग बढ़ा है। राज्य सरकार ने 10वीं व 12वीं के छात्र-छात्राओं को प्री लोडेड कंटेंट के साथ टैबलेट प्रदान किया गया । नई शिक्षा नीति हमारे एजुकेशन सिस्टम को भारतीय संस्कृति के साथ आधुनिक ज्ञान-विज्ञान से जोड़ेगी। इससे हमारी युवा पीढ़ी और छात्र छात्राओं के जीवन में क्रातिकारी परिवर्तन आया । कोविड से हमारे एजुकेशन सिस्टम में काफी परिवर्तन आया है। शिक्षा में आईटी का प्रयोग बढ़ा है। राज्य सरकार ने भी डिजिटल एजुकेशन में महत्वपूर्ण पहल की है। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में 10वीं और 12वीं के छात्र-छात्राओं को प्री-लोडेड कंटेंट के साथ मोबाइल टैबलेट उपलब्ध कराए गए। क्वालिटी एजुकेशन के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। डिग्री कॉलेजों में वाईफाई इंटरनेट उपलब्ध कराया जा रहा है। संघ लोक सेवा आयोग, एनडी, सीडीएस एवं उसके समकक्ष प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी के लिए परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर 50 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है । प्रधानमंत्री के विजन को साकार रूप देने के लिए शिक्षा में आईटी के उपयोग को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने, सरकारी स्कूलों के 10वीं और 12वीं के छात्र-छात्राओं को निशुल्क टैबलेट देने और सुंदर लाल बहुगुणा प्रकृति संरक्षण पुरस्कार शुरू करने सहित कई घोषणाएं जमीनी स्तर पर उतारी गई । ऑनलाईन पढ़ाई को और सुगम बनाने के लिए राज्य के राजकीय स्कूलों के 10वीं और 12वीं के छात्र-छात्राओं को निशुल्क मोबाइल टैबलेट दिए गए ।

मोबाईलएप पर दिव्यांग बच्चों का पंजीकरण- सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का वातावरण तैयार करने के लिए विभाग ने दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के लिए विशेष प्रबंध कर एक्सीलरेटेड लर्निंग कैंप, सहायक उपस्कर, उपकरण के साथ ही दृष्टि दिव्यांग छात्रों के लिये ब्रेल पाठय पुस्तकों का मुद्रण कराया। ऐसे दिव्यांग छात्र जो विद्यालय आने में सक्षम नहीं थे उन्हें 500रूपयेप्रतिमाह की दर से एस्कार्टअलाउंस की शुरूआत की गई । दिव्यांग बालिकाओं को 200रूपयेप्रतिमाह की दर से

THE STANFORD JOURNAL
AN INTERNATIONAL JOURNAL
THE STANFORD JOURNAL ISSN: 3048-8923
(AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH) IJIN VALUE/
IMPACT FACTOR : 8.3
Volume–2, Issues– 4 October- December: 2025

स्टाइपेंड भी दिया गया । विभाग ने समर्थ मोबाईलएप पर दिव्यांग बच्चों का पंजीकरण कर उनके लिए व्यक्तिगत शैक्षिक योजना भी तैयार करने का काम किया। अध्यापकों के प्रोत्साहन के लिए नगद पुरस्कार की राशि 10 हजार रूपये से बढ़ाकर 25,000रूपये की गयी। डिजिटलीकरण से स्मार्ट एजुकेशन की ओर अग्रसर शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों की सेवा पुस्तिका अवकाश एवं वेतन संबंधी कार्य मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से कराने की शुरूआत की। इसकी शुरूआत से ही सारे कार्य समयबद्ध व पारदर्शी तरीके से होना था ।

दीक्षा एप और शारदा पोर्टल मील का पत्थर-कोरोना काल में शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्य बाधित न हो इसके लिए ऑनलाईन दीक्षा एप का उपयोग किया गया वही शिक्षा विभाग ने शारदा पोर्टल के माध्यम से आउट ऑफ स्कूल बच्चों का नामांकन, ट्रैकिंग एवं प्रशिक्षण की ऑनलाईन व्यवस्था भी की।

विद्यालयों में विभागीय योजना से 4,000 व सीएसआरफंड से 12,000 स्मार्ट क्लास स्थापित कर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था मार्ग भी तैयार किया गया। डिजिटल क्रान्ति के युग में विभाग ने पूरी व्यवस्था को इसके रंग में रंग दिया। निजी प्रबंध तंत्र द्वारा स्थापित किये जाने वाले विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन से लेकर आदेश निर्गत तक की व्यवस्था अब ऑनलाइन की गई ।

कोविड के दौरान शिक्षा की बच्चों तक पहुँच के प्रयास-कोविड के दौरान सरकार व स्कूलों द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लियआन लाईन माध्यम ने एक सशक्त भूमिका निभाई गई | स्कूलों द्वारा एक निर्धारित समय पर शिक्षक द्वारा विद्यार्थियो को जोड़ते हुये व्याख्यान प्रदान किए गए,पीपीटी के माध्यम से पाठ्यक्रम को पूर्ण करने का प्रयास किया गया| शिक्षकों द्वारा बच्चों को अपने व्यक्तिगत नोट्स भी उपलब्ध कराये गए जो विद्यार्थियों के लिय बहुत ही लाभकारी साबित हुए| पाठ्यक्रम को कम करने के साथ ही परीक्षा समय को तीन घंटे के स्थान के स्थान पर दो घंटे में परीक्षा सम्पन्न कराई गई| साथ ही विद्यार्थियो के प्रवेश भी आन लाईन सम्पन्न हुये| आज विद्यार्थियो द्वारा पुनः नए सपनें व नई उड्डनों की कल्पना करते हुये अपनी शिक्षा को आगे बढ़ानेमें लग हुए है |

THE STANFORD JOURNAL
AN INTERNATIONAL JOURNAL
THE STANFORD JOURNAL ISSN: 3048-8923
(AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH) IJIN VALUE/
IMPACT FACTOR : 8.3
Volume–2, Issues– 4 October- December: 2025

सारांश- सरकार द्वारा शिक्षा के चतुर्मुखी विकास के लिय निरंतर प्रयास करते रहने से विद्यार्थियों की शिक्षा व्यवस्था को सुचारु किया गया, यदपि शिक्षा सत्र को सुवयवस्थित करने के लिय सरकार ने इस सत्र को जुलाई के स्थान पर इसे 1नवम्बर से आरंभ किया था | अनेक सावधानीयों के कारण ही स्कूल व कॉलेज खुल पाये थे, विद्यार्थियों द्वारा अनेक दिनों घर में एक प्रकार से बंद रहने पर आजादी का अनुभव किया गया था | विद्यार्थियों ने शिक्षा के दार खुलने पर अपने शिक्षकों व साथियों से मिलकर शिक्षा के मंदिर में खुशी का इजहार किया था | सरकार के विभिन्न प्रयासों व योजनाओं के कारण विद्यार्थियों के लिय शिक्षा व्यवस्था पुनः पटरी पर लौटी थी | शिक्षा विद्यार्थियों के विकास के साथ ही समाज व राष्टकी उन्नति में भी अपना अमूल्य योगदान प्रदान करती है|

सन्दर्भ सूचीः-

नई शिक्षा नीति 2020.

अग्रवाल,एच.ओ. (2010). *हयूमनराईट.* इलाहाबाद: सेन्ट्रल लॉपब्लिकेशन्स|

पाण्डेय,जय.नारायण (2011). *भारत का संविधान.* इलाहाबाद: सेन्ट्रल लॉपब्लिकेशन्स|

वक्शी, एन0एस0 (2007). *मानव अधिकार शिक्षा.* दिल्ली: प्रेरणा प्रकाशन|

वालिया, (डॉ0) जे.एस., *भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास।*

रिपोर्ट आफ हायर एजुकेशन भारत सरकार।

शर्मा, आर.ए. (1995)*शिक्षा अनुसन्धान,* मेरठ: सूर्या पब्लिकेशन।

1, 2, 7, 12, 21, 26 अगस्त 2021 अमर उजाला, हल्द्वानी, नैनीताल उत्तराखंड।

18,19 सितम्बर 2021 अमर उजाला, हल्द्वानी, नैनीताल उत्तराखंड।